



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ६, अंक २(२)]

शनिवार, जानेवारी ११, २०२०/पौष २१, शके १९४१

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

वित्त विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ०४ जानेवारी २०२०.

क्रमांक एमआयएस १०१९/प्र.क्र. १९४/अर्थोपाय.—भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम बोर्ड यांच्याकडून भारत सरकारच्या असाधारण
राजपत्र भाग-III, खंड-४ क्रमांक ३१८ मध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध झालेली खालील अधिसूचना माहितीसाठी याद्वारे पुनः
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :—

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

मुंबई, 13 सितम्बर 2019

अधिसूचना

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/31.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय चौथी मंज़िल, विबग्योर टॉवर, प्लॉट सं. सी 62, “जी” ब्लॉक , बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 098 में स्थित है, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 16 सितम्बर 2019 को प्रारंभ होने वाली और 15 सितम्बर 2020 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि (अवधि) के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं

(कॉण्ट्रैक्ट्स) की बाबत इसमें इसके नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाएँ के अध्यक्षीन प्रदान करता है :

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर विहित शर्तों का अनुपालन करेगा।

संतोष कुमार मोहान्ती,
पूर्णकालिक सदस्य,
[विज्ञापन-III/4/असा./206/19]।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

Mumbai, the 13th September 2019

NOTIFICATION

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/31.— The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Metropolitan Stock Exchange of India Limited, having its registered office at 4th Floor, Vibgyor Tower, Plot No. C 62, G Block, Bandra Kurla Complex (BKC), Bandra (E), Mumbai 400 098 and being satisfied that it would be in the interest of trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 16th day of September, 2019 and ending on the 15th day of September, 2020 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein bellow or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Exchange shall comply with conditions as may be prescribed by SEBI from time to time.

SANTOSH KUMAR MOHANTY,
Whole Time Member,
[ADVT-III/4/Exty/206/19].

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ज. बा. कुलकर्णी,
शासनाचे उप सचिव.